रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 1976/चैत्र 2, 1898

No. 108] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 1976/CHAITRA 18, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March 1976

G.S.R. 247(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1976.

2. In Schedule I to the Passport Rules, 1967, in the entries against No. 10, after Gazette.

2. In Schedule I to the Passport Rules, 1967, in the entries against No. 10, after item (c) and the entries relating thereto, the following items and entries shall been inserted, namely:—

(2)	(3)
"(d) Judicial Secretary, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair	Do.
(e) Assistant Secretary (Confidential Cell), Andaman and Nicobar Administration, Port Blair.	Do."

[No. V. I/401/69/75]

K. R. NARAYANAN, Addl. Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1976

सा० का० नि० 247(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियमावली 1967 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, **यथा** :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (अधिनियम) नियमावली 1976 कहे जायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1967 की अनुसूची एक में मद (ग) के बाद की प्रविष्टि सं० 10 में और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, यथा :

(2)	(3)
"(घ) न्यायिक सचिव, अण्डमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर	–वही–
(ङ) सहायक सचिव (गोपनीय सेल), अण्डमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर ।	–वही–"

[सं० V.I/401/69/75]

के० आर० नारायणन, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1976